FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला (सीकर)   उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला (सीकर)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

मूलचन्द बनाम भूमिधारी

दमा दावा - घोषणा मुकदमा नं. 183 सन् 2019

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19	वादी की ओर से वकील श्री भजनाराम ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट अहलमद ली गयी। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 को जरिये सम्मन तलब किया जाकर नियत दिनांक 31/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
0/19	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं. 1 की तामील पेश हुई शामिल पत्रावली की गयी। अधिवक्तागण ने कार्य स्थगन रखा है। अतः पत्रावली दिनांक 01/11/19 को पेश हो। पी०ओ० साहब अन्य कार्य में व्यस्त। (हस्ताक्षर)	
1/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी संख्या-1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। इनको आवाजें दिलायी गयी। प्रतिवादी बावजूद आवाजें अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादी ने बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गयी। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दौराने बहस कथन किया कि भूमि ख०न० 3777, 3779, 3790, 3792, 3797, 3833, 3834 कुल किता-7 कुल रकबा 5.55 है० तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला राजस्थान का 1/6 हिस्सा का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी व वादी के पिता का बोलता नाम "मुरली पुत्र माधा" दर्ज हो गया। जबकि सही नाम "मूलचन्द पुत्र माधुराम" दर्ज होना चाहिए था। वादी एवं वादी के पिता के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता पासबुक इत्यादि में वादी व वादी के पिता का सही नाम मूलचन्द पुत्र माधुराम दर्ज है। अतः वादी का व वादी के पिता का नाम "मुरली पुत्र माधा" के स्थान पर "मूलचन्द पुत्र माधुराम" दुरस्त करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है।
	~~वकील वादी की बहस ध्यान पूर्वक सुनी~~ तथा उस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, मे वादी व उसके पिता का नाम मूलचन्द पुत्र माधुराम है। भामाशाह कार्ड व प्रार्थी के बेटे प्रकाश के पेन कार्ड व बेटे राकेश कुमार के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम मूलचन्द है तथा सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी लुहारवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक KPP दिनांक 20.10.19 में भी
	(हस्ताक्षर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
मूलचन्द पुत्र माधुराम एवं मुरली पुत्र माधा एक ही व्यक्ति के दो नाम होना अंकित है। अतः उक्त सभी दस्तावेजो के आलोक में वादी के वाद कथन साबित होते है। वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि:- **आदेश** भूमि ख० न० 3377, 3779, 3790, 3792, 3797, 3833, 3834 कुल किता-7 कुल रकबा 5.55 है० तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० के राजस्व रिकार्ड में वादी व वादी के पिता का नाम "मुरली पुत्र माधा" के स्थान पर "मूलचन्द पुत्र माधुराम" दुरुस्त किया जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 1/11/19 को खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) R.A.S.	

Scanned by CamScanner